

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
तारीख  
अहकाम  
इस हुकम  
तामील  
जारी

9/3/26

पत्रावली पेश हुई। एक वादी/प्रतिवादी  
संस्थित क्षीमा 20... दौरे पर हैं। प्रात्रावली  
दिनांक 23/3/26 को वास्ते तामील पेश हो

उप खण्ड अधिकारी

23/3/26 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते  
तामील रखि उप (1 से 3) आगामी  
दिनांक 30/3/26 को पेश हो

30/3/2026

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद विजौलिया  
द्वारा कार्य अधीन रखा गया। पत्रावली दिनांक  
6/4/2026 को वास्ते तामील रखि पेश हो।  
शुभ (1 से 3)

उप खण्ड अधिकारी विजौलिया

6/4/26 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार विजौलिया  
की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया।  
तहसीलदार विजौलिया की रिपोर्ट के आधारे  
पर पत्रावली में आदेश जारी किए  
गए। विस्तृत निबंध पृथक से लिखवका  
आकर, खुले न्यायालय में सुनाए गए।  
पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल  
दफ्तर हो

उप खण्ड अधिकारी  
विजौलिया जिला-भीलवाड़ा

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)**

पीठासीन अधिकारी :- अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी  
राजस्व प्रकरण संख्या 214/2025 दायर तारीख 08.12.2025

अनवान

जमनालाल पुत्र बाबूलाल जाति भील उम्र बालिग पेशा खेती निवासी जलेरी हाल मुकाम आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रार्थी

बनाम

1. ओमाबाई पुत्री पूरणमल जाति भील उम्र बालिग निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रेखा पुत्री पूरणमल जाति भील उम्र बालिग निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. सुनीता देवी पत्नि संतराम जाति भीणा उम्र बालिग निवासी अरन्या तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)।
4. राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... विपक्षीगण

उपस्थित :- 01. श्री मुकेश कुमार धाकड़ - अधिवक्ता प्रार्थी।  
02. पैरोकार सरकार।

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**:- निर्णय :-**

दिनांक 06/04/2026

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती खाते की खातेदारी आराजीयात मौजा ग्राम फतहनगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद में वर्तमान खाता संख्या 37 पर अंकित आराजी संख्या 393 रकबा 2.8004 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 2-8004 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ वाली स्थित होकर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज खाता चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील सा० जलेरी दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थी के पिता बाला (जिनको बालु भी कहा जाता था) के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रार्थी के पिता बाला का देहान्त हो जाने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1736 दिनांक 12/11/2010 को खोला गया। उक्त नामान्तरण खोलते वक्त राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई जांच किये, प्रार्थी को सुने बिना नामान्तरण खोल दिया जिसमें प्रार्थी का गांव में बोलता नाम भोज्या पुत्र बाला अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत है ज कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दरस्तावेज अनुसार सही नाम जमनालाल पुत्र बाबुलाल भील है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 07/08/2025 को उक्त खाते की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर कायम की गई प्रथम जम्माबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रार्थी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील



निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

ही चला आ रहा है। जिसे भोज्या पुत्र बाला के बजाय संशोधित कर सही रूप में जमनालाल पुत्र बाबुलाल भील किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी के पहचान सम्बंधी दस्तावेजों में भी प्रार्थी का नाम जमनालाल पुत्र बाबुलाल भील दर्ज है। पहचान सम्बंधी दस्तावेजों एवं राजस्व रेकॉर्ड में नामों की भिन्नता के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं भविष्य में भी कई प्रकार का सामना करना पड़ेगा इस कारण प्रार्थी उक्त नाम में संशोधन करा दस्तावेज अनुसार सही नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराना चाहता है, जो किया जाना काश्तकार के हितों हेतु आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः निवेदन है कि मौजा ग्राम फतहनगर पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया की सरहद में वर्तमान खाता संख्या 37 पर अंकित आराजी संख्या 393 रकबा 2.8004 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 2.8004 हैक्टेयर के राजस्व खाते में प्रार्थी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील के बजाय जमनालाल पुत्र बाबूलाल भील दर्ज करने का आदेश विपक्षी संख्या 4 के नाम फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली है।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलिया से मौका रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट/क्रमांक/राजस्व/2025/2063 दिनांक 24/12/2025 में अंकित किया कि भू.अ.नि. सलावटिया एवं पटवारी हल्का नयानगर की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार ग्राम फतहनगर में वादी जमनालाल पुत्र बाबूलाल भील के नामशुद्धि के सम्बंध में जांच की गई। ग्राम फतहनगर की खाता संख्या 37 में वादी का नाम भोज्या पुत्र बाला भील दर्ज है एवं ग्राम आरोली की जमाबन्दी खाता संख्या 112 में वादी का नाम जमनालाल पुत्र बालू भील दर्ज है। प्रार्थी के परिवार के सदस्य माता कंवरी व बहिन प्रेम भील के नाम में भी क्रमशः पति व पिता का नाम बालू भील अंकित है। परिवार के सदस्य भैरू पिता पूरणमल व मौतविर कालू पिता लालूराम गुर्जर निवासी आरोली ने बताया की वर्तमान में वादी को गांव में जमनालाल पुत्र बालू के नाम से जाना जाता है। लेकिन ग्राम फतहनगर की जमाबन्दी में खाता संख्या 37 पर भोज्या पुत्र बाला भील के बजाय **भोज्या उर्फ जमनालाल पिता बालू शुद्ध** करने में कोई आपत्ति नहीं है दोनों एक ही व्यक्ति है। वादपत्र अनुसार प्रार्थी जमनालाल पुत्र बाबूलाल दर्ज कराना चाहता है जो उचित नहीं है। वादी की माता व बहिन के नाम में क्रमशः पति व पिता बालू भील अंकित है। भोज्या उर्फ जमनालाल पिता बालू शुद्ध करने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उक्तानुसार रिपोर्ट की प्रति, मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल की प्रतियां संलग्न किया जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम फतहनगर प0ह0 नयानगर सम्वत् 2064 से 2067, नकल जमाबन्दी ग्राम फतहनगर प0ह0 नयानगर आ.सं. 393 सम्वत् 2076 से 2077, आधारकार्ड जमनालाल, जन आधारकार्ड की प्रतियां संलग्न की है।



निरन्तर पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार ने ग्राम फतहनगर की जमाबन्दी में खाता संख्या 37 पर भोज्या पुत्र बाला भील के बजाय **भोज्या उर्फ जमनालाल पिता बालू** शुद्ध करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं है दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब एवं दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

### —: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम फतहनगर की जमाबन्दी में खाता संख्या 37 पर अंकित आराजी संख्या 393 रकबा 2.8004 हैक्टेयर भूमि में भोज्या पुत्र बाला भील के बजाय **भोज्या उर्फ जमनालाल पिता बालू** किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 06/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां